कार्यालय आयुक्त,
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल

ऑनलाइन प्रवेश

सत्र 2015–16

प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदकों के लिए

निर्देश पुस्तिका

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र.)
फोन: 0755–2554763, 2551698 फैक्स: 0755–2551573

Counseling Portal: www.epravesh.nic.in

Website: www.highereducation.mp.gov.in

शिक्षा की सार्थकता आचरण में है।

प्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में ऑनलाईन प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदकों के लिए निर्देश पुस्तिका

शैक्षणिक सत्र 2015–16 हेतु ऑन–लाइन प्रवेश प्रक्रिया समय सारणी का पालन सुनिश्चित करते हुए मध्यप्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु निष्पक्ष, पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध ऑनलाइन केन्द्रीय प्रवेश प्रक्रिया एन. आई. सी. के तकनीकी सहयोग से लागू की गई है। इसके अंतर्गत स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु इच्छुक आवेदक प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। ऑन लाइन प्रवेश आवेदन करने से पूर्व आवेदक इस निर्देश पुस्तिका का भलीभॉति अध्ययन कर लें, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो।

उच्च शिक्षा विभाग के प्रवेश पोर्टल **http://www.epravesh.nic.in** पर आवेदकों के लिये ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध हैं। महाविद्यालयों एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पंजीयन (Registration) तथा इसके पश्चात् दस्तावेजों का सत्यापन (Document verification) कराना होगा। आवेदक को सर्वप्रथम अपना आवेदन ऑनलाइन भरना होगा तथा इसके बाद ऑनलाइन चालान प्राप्त कर अथवा इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा रु. 100/– पंजीयन शुल्क का भुगतान करना होगा। तत्पश्चात् प्रदेश के किसी भी शासकीय महाविद्यालय में जाकर अपने समस्त आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराने/ पंजीयन शुल्क जमा नहीं कराने पर आवेदन स्वतः निरस्त माना जावेगा।

आवेदक इंटरनेट के माध्यम से अपने घर, शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में स्थित सहायता केन्द्रों **(Help Centres)** अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। महाविद्यालयों में स्थित सहायता केन्द्रों पर शुल्क रु. 10/– का भुगतान करने पर आवेदन भरने की सुविधा उपलब्ध है। **विभाग द्वारा किसी भी ऐजेंसी को इस कार्य हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।**

आवेदन भरने से पूर्व आवेदक ''प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत 2015–16'' जो विभाग की वेब साइट **www.highereducation.mp.gov.in** एवं पोर्टल पर उपलब्ध है, का अध्ययन भलीभॉति कर लें, जिससे उन्हें आवेदन भरने में आसानी होगी।

जिलेवार महाविद्यालय, उनमें संचालित पाठ्यक्रमों, उनके कोड नंबर, उपलब्ध सीट्स एवं शुल्क इत्यादि जानकारियॉ भी पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदक महाविद्यालय तथा पाठ्यक्रम का चयन बहुत सोच समझ कर करें। अपने से संबंधित समस्त आवश्यक दस्तावेजों को पूर्व से ही तैयार रखें।

ऑनलाइन पंजीयन एवं दस्तावेजों के सत्यापन के आधार मात्र से ही किसी प्रत्याशी को प्रवेश का अधिकार प्राप्त नहीं होगा अपितु प्रवेश के समय आवेदक के अपेक्षित मूल प्रमाणपत्र पूर्णतः सही एवं नियमानुसार पाए जाने पर ही प्रवेश की पात्रता होगी। अतः ऑनलाइन पंजीयन करने के पूर्व आवेदक ''प्रवेश मार्गदर्शी सिद्धांत 2015–16'' एवं संबंधित विश्वविद्यालय से सुनिश्चित कर लें कि वह प्रवेश की पात्रता/योग्यता रखता है अथवा नहीं।

ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी, गुणानुक्रम एवं आवेदकों द्वारा प्रस्तुत वरीयता के आधार पर होगी। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक समस्त जानकारियॉ ऑनलाइन मॉड्यूल से प्राप्त कर सकते हैं।

ऑन–लाइन प्रवेश प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं –

1. उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल **http://www.epravesh.nic.in** पर आवेदकों के लिये ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध होंगे। स्नातक प्रथम सेमेस्टर हेतु ऑन–लाइन पंजीयन शुरू हो चुके हैं तथा जिसकी अंतिम तिथि 18/06/2015 है। स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु ऑन–लाइन पंजीयन दिनांक 01/06/2015 से शुरू हो रहा है तथा जिसकी अंतिम तिथि 23/06/2015 है।

2. शैक्षणिक सत्र 2015–16 हेतु ऑन–लाइन प्रवेश प्रक्रिया की विस्तृत समय सारणी http:// www.epravesh. nic.in पोर्टल पर पर उपलब्ध हैः

3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत ऑन–लाइन आवेदन में दर्ज जानकारियों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन करवाने के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय महाविद्यालयों को सत्यापन केन्द्र **(Verification Centres)** बनाया गया है। किसी भी शासकीय महाविद्यालय में उपस्थित होकर आवेदक को अपने दस्तावेजों का सत्यापन स्नातक हेतु दिनांक 22/06/2015 तक तथा स्नातकोत्तर हेतु दिनांक 25/06/2014 तक अनिवार्यतः करवाना होगा।

4. आवेदक अपने पंजीयन का प्रिंट–आउट सहित सभी मूल प्रमाणपत्रों जैसे अंकसूची, जाति, संवर्ग, स्थानीय निवासी (स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र), एनसीसी/एनएसएस, खेलकूद इत्यादि एवं उनकी एक–एक छायाप्रति के साथ सत्यापन हेतु नज़दीकी सत्यापन केन्द्र पर निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्यतः उपस्थित हों।

5. सभी दस्तावेजों के सत्यापन होने पर प्रमाणीकरण अधिकारी आवेदक का पोर्टल पर सत्यापन ऑन–लाइन करेंगें। पोर्टल पर सत्यापन पश्चात् **दो प्रतियों में सत्यापन स्लिप प्रिंट** की जावेंगी। इन **सत्यापन स्लिप** पर प्रमाणीकरण अधिकारी एवं आवेदक दोनों को ही हस्ताक्षर करना होंगे। इसकी एक प्रति आवेदक को प्रदान की जावेगी तथा एक प्रति सभी दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ प्रमाणीकरण अधिकारी अपने पास रखेंगें।

6. **सत्यापन स्लिप** को संभालकर रखें। इसे प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय में सत्यापन के समय प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों एवं अर्हता संबंधी अन्य दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अर्हता पूर्ण नहीं करने पर महाविद्यालय प्रवेश देने से मना कर देंगे।

7. आवेदक अपने पंजीयन क्रमांक की सहायता से पोर्टल पर अपने दस्तावेजों के ऑन–लाइन सत्यापन एवं पंजीयन राशि के भुगतान होने की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आवेदक प्रमाण स्वरुप इसका प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

8. निर्धारित अंतिम तिथि तक दस्तावेजों का सत्यापन नही कराने अथवा पंजीयन हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं करने पर पर आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा एवं आवेदक प्रवेश प्रक्रिया से बाहर हो जावेगा।

9. निर्देश पुस्तिका में दिये गये आवेदन पत्र के प्रारुप (संलग्नक – 12/13) में अपने से संबंधित जानकारियॉं पूर्व से ही भर लें जिससे ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरते समय सही–सही जानकारियॉं प्रविष्ट करने में आसानी होगी एवं गलतियॉं नही होने से सत्यापन के समय अनावश्यक परेशानियों से भी बचेंगे।

10. ऑन लाइन आवेदन भरते समय आवेदक को चार अंकों की सिक्रेट की (Secret Key) (0 से लेकर 9 तक कोई भी चार अंक) बनाकर दर्ज़ करना होगी। आवेदक अपना पंजीयन क्रमांक एवं सिक्रेट की को अवश्य नोट कर लें। सिक्रेट की इस प्रकार बनायें कि उसे याद रखना आसान हो। आवेदन पत्र में शेष जानकारियॉ भरने अथवा भविष्य में भरी गई जानकारियों में परिवर्तन करने के लिए पंजीयन क्रमांक एवं सिक्रेट की से लॉग–इन करना होगा। प्रथम बार एवं भविष्य में परिवर्तन करने पर हर बार एक सरल क्रमांक (Version) भी आवेदन पत्र पर दर्ज होगा। अंतिम बार किये गये परिवर्तन के समय प्राप्त सरल क्रमांक युक्त आवेदन पत्र को दो प्रतियों में प्रिंट कर सत्यापन के लिए ले कर जावें।

11. रु.100 पंजीयन शुल्क का भुगतान यदि चालान से करना चाहते हो तब आवेदन भरते समय ही चालान की एक प्रति की भी प्रिंट आउट लेना होगा तथा चालान निर्दिष्ट बैंक में जाकर जमा कर दें। चालान से भुगतान करने पर निर्धारित शुल्क बैंक को देय होगा। पंजीयन राशि जमा होने के पश्चात् ही आवेदक प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे।

12. पंजीयन शुल्क का भुगतान चालान द्वारा निम्न बैंकों के माध्यम से किया जा सकता है – स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया ।

13. निर्धारित पंजीयन शुल्क का भुगतान संबंधित बैंक की इंटरनेट बैंकिंग अथवा डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं।

14. आवेदक के द्वारा सत्यापन के समय त्रुटि पाये जाने अथवा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करनें पर प्रमाणीकरण अधिकारी आपत्ति लेंगे। इस स्थिति में आवेदक को स्वयं किसी इंटरनेट कैफे अथवा महाविद्यालय में स्थित सहायता केन्द्र की मदद से आवेदन में आवश्यक संशोधन कर पुनः आवेदन पत्र को दो प्रतियों में प्रिंट कर पुनः सत्यापन हेतु उपस्थित होना होगा।

15. अंतिम तिथि तक पंजीयन एवं दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य अवश्य पूर्ण कर लें।

16. आवेदक को एक बार ही पंजीयन शुल्क रु. 100/– का भुगतान करना है।

17. **आवेदक एक से अधिक पंजीयन न करें।** सत्यापन के पूर्व किसी भी प्रकार की त्रुटि अथवा वरीयताओं में ऑन लाइन सुधार कर सकते है। एकाधिक पंजीयन कदापि न करें, ऐसा पाये जाने पर केवल एक पंजीयन मान्य किया जावेगा तथा अन्य पंजीयन निरस्त कर दिये जावेंगे है एवं आवेदक स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होंगे।

18. सत्यापन के समय किसी भी प्रकार की गलती पाये जाने पर आवेदक को स्वयं ही इसे ऑन लाइन ठीक करके पुनः सत्यापन हेतु जाना होगा। अतः आवेदक ऑन–लाइन आवेदन पत्र भरते समय बहुत सावधानीपूर्वक जानकारियॉ प्रविष्ट करें एवं विधिवत् परीक्षण करलें।

19. आवेदक महाविद्यालय एवं पाठ्यक्रम में से कुल मिला कर नौ विकल्पों का चयन कर सकेंगे। आवेदक नौ महाविद्यालय अथवा एक ही महाविद्यालय में नौ पाठ्यक्रम अथवा इसी तरह कुल मिलाकर अधिकतम नौ विकल्प का चयन कर सकता है।

20. आवेदक पोर्टल **http://www.epravesh.nic.in** पर दिए गए Menu अंतर्गत उपलब्ध लिंक द्वारा ऑन लाइन आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व आवेदन पत्र में दर्ज करने संबंधी अन्य समस्त वांछित जानकारियॉ जैसे – महाविद्यालयों एवं उनमें पढाये जाने वाले पाठ्यक्रमों की जानकारी, उनके कोड नंबर, प्रवेश हेतु अधिभार प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्रों की जानकारी एवं देय अधिभार, उनके कोड नंबर, शुल्क की जानकारी इत्यादि अवश्य देख लें।

21. आवेदक अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि अपनी अंकसूची में अंकित अनुसार ही लिखें। Spelling अवश्य Check करें। आवेदक अपने फोटो एवं हस्ताक्षर सही–सही अपलोड एवं प्रिंट हुआ है, इसकी जॉच कर लें।

22. आवेदक अपनी अर्हताकारी परीक्षा का रोल नंबर, प्राप्तांक एवं अधिकतम अंकों की प्रविष्टि सही–सही करें।

23. आवेदक अपनी जाति, संवर्ग, अल्पसंख्यक दर्ज़ा, मूल निवास आदि की जानकारी सही–सही भरें।

24. आवेदक अपना सम्पूर्ण पता सही–सही भरें।

25. **सत्यापन के पश्चात् दर्ज़ जानकारियों में किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।**

26. **छात्र/छात्राएं महाविद्यालयों का चयन करते समय विशेष सावधानी रखें, जिससे उन्हें उनसे संबंधित महाविद्यालयों में ही प्रवेश दिया जा सके।**

27. आवेदक द्वारा गलत जानकारी दिये जाने से आवंटन में विसंगति का संपूर्ण दायित्व आवेदक का होगा एवं सत्यापन उपरांत संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा।

28. कन्या महाविद्यालयों में सिर्फ कन्या आवेदकों के ही दस्तावेजों के सत्यापन का कार्य होगा।

29. प्रवेश के समय पात्रता पूर्ण नहीं करने वाले आवेदकों के प्रवेश महाविद्यालय द्वारा अमान्य होंगे।

30. प्रवेश शुल्क का भुगतान करने पर ही प्रवेश की प्रक्रिया पूर्ण होगी। प्रवेशित आवेदकों को उनके आनॅलाइन प्रवेश की रिपोर्टिंग के प्रमाण स्वरुप महाविद्यालय Online Admission Slip प्रदान करेंगे। अतः आवेदक अपनी Online Admission Slip अवश्य प्राप्त करें।

31. आवंटन पश्चात् प्रवेश के समय अर्हता संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करने / निर्धारित समयावधि में वचन पत्रानुसार मूल दस्तावेज जमा नहीं कराने/निर्धारित समयावधि में प्रवेश शुल्क का भुगतान नहीं करने/आवश्यक शपथ पत्र (म. प्र. एवं बाह्य राज्यों के आवेदक) प्रस्तुत नहीं करने वाले आवेदकों के प्रवेश स्वतः निरस्त माने जावेंगे।

32. कुछ विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों द्वारा अंकों के स्थान पर ग्रेड पाईंट प्रदान किए जाते हैं। यदि आवेदक की स्नातक/स्नातकोत्तर की अंक सूची में ग्रेड पाईंट के समतुल्य अंकों की गणना करने का सूत्र वर्णित हो तो ग्रेड को अंकों में बदलकर ही कॉलम में पृविष्ट करें अन्यथा ग्रेड पाईन्ट का उल्लेख करें तथा प्राप्तांक कॉलम में स्केल भरें। उदाहरणार्थ : यदि ग्रेड 3.5 इन द स्केल ऑफ 5 हो तो प्राप्तांक में 3.5 तथा पूर्णांक में 5 पृविष्ट करें।

33. प्रवेश के समय जम्मू कश्मीर के विस्थापित एवं उनके आश्रित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

34. अन्य राज्य के आवेदकों के लिए प्रवेश के समय पुलिस सत्यापन अनिवार्य है।

35. 12वीं की परीक्षा में पूरक प्राप्त आवेदकों को भी प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना ऑन–लाइन पंजीयन पोर्टल पर कराते हुए प्रावधिक प्रवेश लेना होगा। अनुत्तीर्ण होने पर नियमानुसार शुल्क वापस किया जावेगा।

36. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक आवेदकों को भी प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अपना ऑन लाइन पंजीयन पोर्टल पर कराते हुए प्रावधिक प्रवेश लेना होगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हो जाने का प्रमाण प्रस्तुत करने पर नियमानुसार शुल्क वापस किया जावेगा।

37. ज़िला मुख्यालय में एक से अधिक महाविद्यालय होने पर उत्कृष्ट घोषित महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 60 प्रतिशत अथवा अधिक होना चाहिए। आरक्षित वर्ग हेतु नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी। किन्तु कोई पाठ्यक्रम सिर्फ उत्कृष्ट घोषित महाविद्यालयों में ही संचालित होने पर न्यूनतम प्राप्तांक 60 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं होगी।

38. संकाय परिवर्तन कर प्रवेश लेने वाले आवेदकों के 5% अंक कम कर गुणानुक्रम निर्धारित किया जावेगा तथा अधिभार घटे हुए प्राप्तांक पर ही देय होगा।

39. अध्ययन मे अंतराल होने पर शपथ पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

40. प्रवेश के पश्चात् स्थान रिक्त रहने पर पात्रता एवं गुणानुक्रम के अनुसार विषय/संकाय/पाठ्यक्रम में परिवर्तन 31 जुलाई, 2015 तक किये जा सकेंगे।

41. आवेदकों की सहायता के लिए सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) पोर्टल पर उपलब्ध हैं।

42. आवेदन द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर एस. एम. एस. द्वारा कुछ सूचनाएँ दी जावेंगी। अतः आपके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले मोबाइल नंबर को ही प्रविष्ट करें।

43. किन्ही दो आवेदकों के प्राप्तांकों का प्रतिशत एक समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर वरिष्ठ आवेदक को वरीयता दी जावेगी।

44. **प्रवेश का निरस्तीकरण** :– प्रवेश प्राप्त होने के पश्चात् भी यदि यह पाया गया कि कोई आवेदक गलत या असत्य जानकारी के आधार पर अथवा तथ्यों को छिपाने से या किसी त्रुटि या अनदेखी के कारण संस्था में प्रवेश पा गया है, तो यह बात संज्ञान में आते ही प्रत्याशी का प्रवेश बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल निरस्त कर कानूनी कार्यवाही की जावेगी तथा समस्त शुल्क राजसात कर लिया जावेगा।

45. **आवेदक एवं उनके माता–पिता अथवा अभिभावक किसी के बहकावे में न आवें। प्रवेश संबंधी किसी भी जानकारी के लिए दूरभाष क्रमांक 0755–2551698, 2554763 पर संपर्क कर सकते हैं।**

विशेष : निम्नानुसार प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रवेश हेतु अधिभार दिया जाता है। अधिभार हेतु विगत चार वर्षों में अर्जित प्रमाण पत्रों को ही मान्य किया जावेगा तथा एक से अधिक अधिभार होने पर अधिकतम अधिभार प्राप्त प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।

एन. सी. सी./एन. एस. एस./स्काउट/रेड क्रास/जूडो कराटे/विभिन्न खेलकूद/सांस्कृतिक /साहित्यिक/क्विज़/रुपांकन प्रतियोगिताएं/अंतर ज़िला / संभाग स्तर की प्रतियोगिताएं जो कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित हो अथवा अंतर संभाग / क्षेत्र स्तर की प्रतियोगिताएं जो कि सी. बी. एस. ई. द्वारा आयोजित की गई हो / स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अथवा सी. बी. एस. ई. द्वारा अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय आयोजित स्तर की प्रतियोगिताएं अथवा मंत्रालय संसदीय मामले भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं / मंत्रालय संसदीय मामले भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदारी / भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ/साईंस तथा कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत विज्ञान/ सांस्कृतिक /साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयन/ भागीदारी का प्रमाण पत्र/म. प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ/ जम्मू कश्मीर के विस्थापित एवं उनके आश्रित।

(विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक –10 देखें)

सत्यापन/ प्रवेश के समय आवश्यक प्रमाण पत्रों की सूची निम्नानुसार है –

आवेदक मूल प्रमाण पत्रों के साथ उनकी एक–एक छाया प्रति अवश्य लेकर आवे, सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण पत्र तुरंत वापस कर दिये जावेंगे।

- अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची । (मूल अंक सूची के अभाव में इंटरनेट की अंकसूची सत्यापन हेतु मान्य होगी किन्तु प्रवेश होने पर निर्धारित समयावधि में मूल अंक सूची प्रवेशित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगी)। मूल अंक सूची के अभाव में प्रवेश के समय दिये जाने वाले वचन पत्र का प्रारुप (संलग्नक – 2)
- कक्षा 10 वीं की अंक सूची (जन्म तिथि हेतु)।
- प्रवेश के समय मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र (टी.सी.)। मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अभाव में प्रवेश के समय दिये जाने वाले वचन पत्र (संलग्नक – 3) के आधार पर प्रावधिक प्रवेश मान्य होगा, किन्तु निर्धारित समयावधि में मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रवेशित महाविद्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- चरित्र प्रमाण पत्र, प्रवेश के समय ।
- जाति प्रमाण पत्र।
- आय प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग, नॉन–क्रीमी लेयर हेतु)।
- संवर्ग (विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सैनानी/सैनिक) प्रमाण पत्र।
- अध्ययन में अंतराल होने पर अंतराल प्रमाण पत्र (एफिडेविट), प्रवेश के समय।
- उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. के कार्यरत नियमित कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री होने का प्रमाण पत्र।
- प्रवेश हेतु अधिभार प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्र। (विस्तृत विवरण हेतु संलग्नक – 8 देखें)
- प्रवेश के समय विश्वविद्यालय का पात्रता प्रमाण पत्र।
- प्रवेश के समय माइग्रेशन प्रमाण पत्र।
- प्रवेश के समय जम्मू कश्मीर के विस्थापित एवं उनके आश्रित होने का प्रमाण पत्र।
- प्रवेश के समय अन्य राज्य के आवेदकों के लिए पुलिस सत्यापन। (संलग्नक – 6)
- चालान/इंटरनेट बैंकिंग द्वारा पंजीयन शुल्क भुगतान का प्रमाण। (टीप : भुगतान सत्यापन के पश्चात् भी कर सकते हैं।)
- प्रवेश के समय सेवारत होने पर नियोक्ता का प्रमाण पत्र।
- प्रवेश के समय यदि किसी न्यायालय पुलिस थाने में आवेदक के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज है तो उसका विवरण।
- प्रवेश के समय आवेदक के विरूद्ध पूर्व में अनुशासनहीनता/दुराचार/रैगिंग/नकल प्रकरण/अपराधिक कृत्य के विरूद्ध की गई न्यायालयीन/महाविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का संपूर्ण विवरण।

आवेदकों के लिए विभिन्न प्रारुप

संलग्नक – 1 : आवेदन पत्र में भरी जाने आवश्यक जानकारियों के विकल्प

संलग्नक – 2 : अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची के अभाव में वचन पत्र

संलग्नक – 3 : मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अभाव में वचन पत्र

संलग्नक – 4 : आवेदक की घोषणाऍं

संलग्नक – 5 : माता/पिता या वैध अभिभावक की घोषणा

संलग्नक – 6 : स्थानीय निवासी हेतु स्व प्रमाणित घोषणा पत्र (अस्टाम्पित कागज़ पर)

संलग्नक – 7 : आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा पत्र (सादे कागज़ पर)

संलग्नक – 8 : बाह्य राज्य के आवेदकों के लिए पुलिस सत्यापन

संलग्नक – 9 : बाह्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु पुलिस सत्यापन फार्म

संलग्नक – 10 : प्रवेश हेतु अधिभार प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्रो की सूची

संलग्नक – 11 : अध्ययन में अंतराल होने पर दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारुप।

संलग्नक – 12 : पंजीयन फॉर्म का प्रारुप (अंग्रेजी)।

संलग्नक – 13 : पंजीयन फॉर्म का प्रारुप (हिंदी)।

Details of options in drop down menu to be filed in the Application Form:

Result of Exam	Pass / Supplementary
Subject Group	Science (Maths) / Science (Bio) / Arts / Commerce / Home Science / Agriculture / Professional Courses
Blood Group	A+ / A- / B+ / B- / AB+ / AB- / O+ / O - / Not Known
Category	GEN / SC / ST / OBC (Non-Creamy) / GEN-OBC (Creamy)
Minority / Non-Minority	Non-Minority / Muslim / Christian / Sikh / Parsi / Baudha/Jain/Gujrati Speaking
Domicile	MP / J & K Migrant / Other State
Special Class (संवर्ग)	None / Handicapped / FF / Sainik / FF-Handicapped / Sainik - Handicapped / Sainik - Widow and dependent of Martyrs during war/ Sainik - Handicapped Sainik during war and dependent / Sainik - Dependent of Martyrs during peace / Sainik - Handicapped Sainik during peace and dependent / Sainik - Gallantry Awardees / Sainik - Dependent of Ex-Sainik / Sainik - Dependent of On Duty Sainik

अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची के अभाव में वचन पत्र

प्रति,

प्राचार्य,

....

.... (महाविद्यालय का नाम)

....(शहर का नाम)

विषय : अर्हताकारी परीक्षा की मूल अंक सूची के अभाव में वचन पत्र प्रस्तुत करने बाबत्।

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि मुझे आपके महाविद्यालय में कक्षा .... सेमेस्टर.................................... विषय समूह.. में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑन लाइन सीट आवंटित की गई है। किन्तु आज दिनांक तक प्रवेश हेतु आवश्यक कक्षा 12 वीं की मूल अंक सूची मुझे प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्रवेश हेतु इंटरनेट से प्राप्त अंक सूची संलग्न कर रहा हूँ/रही हूँ। मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि दिनांक.................................... तक अपनी मूल अंक सूची महाविद्यालय में प्रस्तुत कर दूंगा/कर दूंगी।

उक्त तिथि तक अंक सूची प्रस्तुत नहीं करने पर महाविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त किये जाने की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

दिनांक :....................................

भवदीय

नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

पता : ....

दूरभाष/मोबाइल नं.: ....

पंजीयन क्रमांकः ....

मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अभाव में वचन पत्र

प्रति,

प्राचार्य,

....

.... (महाविद्यालय का नाम)

....(शहर का नाम)

विषय : मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अभाव में वचन पत्र प्रस्तुत करने बाबत्।

महोदय/महोदया,

विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि मुझे आपके महाविद्यालय में कक्षा .... सेमेस्टर.................................... विषय समूह.. में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ऑन लाइन सीट आवंटित की गई है। किन्तु आज दिनांक तक प्रवेश हेतु आवश्यक मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र मुझे अपने विद्यालय/महाविद्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। अतः मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि दिनांक.. तक अपना मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र महाविद्यालय में प्रस्तुत कर दूंगा/कर दूंगी।

उक्त तिथि तक स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर महाविद्यालय द्वारा मेरा प्रवेश निरस्त किये जाने की जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी।

दिनांक :....................................

भवदीय

नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

पता : ....

दूरभाष/मोबाइल नं.: ....

पंजीयन क्रमांकः ....

: आवेदक की घोषणाऍं :

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि :

- मैं महाविद्यालय के समस्त नियमों/निर्देशों/सूचनाओं एवं आचरण संहिता का पूर्णरुपेण पालन करूँगा/करूँगी।
- शासन/महाविद्यालय के नियम/अनुशासन व व्यवस्था के प्रति वचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा। अपना व्यवहार संयत, शालीन एवं विनम्र रखते हुए प्रत्येक प्रकरण में प्राचार्य के निर्णय का पालन करूँगा/करूँगी।
- ऐसी किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लूँगा/लूँगी जिससे महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं निहित उद्देश्यों का अहित हो।
- मेरे द्वारा उपर्युक्त दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। किसी भी तथ्य को न तो छुपाया है और न ही कोई असत्य/भ्रामक जानकारी दी है।
- कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति की अनिवार्यता का पालन करूँगा/करूँगी अन्यथा मुझे सत्रान्त परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी।
- उपर्युक्त घोषणा का उल्लंघन करने की स्थिति में प्राचार्य को महाविद्यालय से मेरा प्रवेश निरस्त करने तथा वैधानिक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।
- मैं किसी प्रकार की रैगिंग गतिविधि में भाग नहीं लूँगा/लूँगी।
- मैं महाविद्यालय की किसी भी नीति की सार्वजनिक आलोचना नहीं करूँगा/करूँगी अपितु किसी समस्या की स्थिति में महाविद्यालय/विभाग के अधिकारियों के सहयोग से उसे दूर करूँगा/करूँगी।
- मेरे विरूद्ध पूर्व में अनुशासनहीनता/दुराचार/रैगिंग/नकल प्रकरण/अपराधिक कृत्य के विरूद्ध कोई न्यायालयीन/महाविद्यालय द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। यदि हॉ तो विवरण दें ....
  ....
- मेरे विरूद्ध किसी न्यायालय/पुलिस थाने में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। यदि हॉ तो विवरण दें ....
  ....

दिनांक :...................................

भवदीय

नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

पता : ....

पंजीयन क्रमांकः ....

दूरभाष/मोबाइल नं.: ....

: माता/पिता या वैध अभिभावक की घोषणा :

हम प्रमाणित करते हैं कि हमारे पुत्र/पुत्री/पाल्या .... कक्षा..सेमेस्टर .... द्वारा इस आवेदन–पत्र में दी गई समस्त जानकारी सत्य है। महाविद्यालय के समस्त नियमों/निर्देशों एवं व्यवस्थाओं को समझ लिया है। महाविद्यालय के अध्ययन काल में उसके आचरण, कार्यों, अनुशासन, उपस्थिति, दैनंदिनी प्रगति और व्यवहार के संबंध में विशेष ध्यान देंगे तथा इसके लिये पूर्णतः उत्तरदायी रहते हुए महाविद्यालय को पूर्ण सहयोग देते रहेंगे। पुत्र/पुत्री/पाल्या द्वारा परीक्षा आवेदन फार्म भरे जाने के पूर्व अथवा सत्रांत तक वांछित उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम होने पर उसे सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित न किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

पिता/अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर

दिनांक : ....

पूरा नाम ....

पता : ....

....

दूरभाष/मोबाइल नं.: ....

फोटो स्व प्रमाणित

संलग्नक – 6

स्थानीय निवासी हेतु
स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
(अस्टाम्पित कागज़ पर)

मैं ....आत्मज/पति श्री ....आयु लगभग..........वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि :–

1. मैं वर्तमान में .... में निवासरत हूँ।
2. मेरी पत्नि का नाम श्रीमती .... एवं उम्र (लगभग) ....वर्ष है।
3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री –
   1. श्री/कु. .... आयु (लगभग) ....वर्ष
   2. श्री/कु. .... आयु (लगभग) ....वर्ष
4. (यहॉ मध्यप्रदेश शासन के ज्ञापन क्रमांक सी–3–7–2013–3–एक, दिनांक 25 सितम्बर, 2014 में वर्णित निर्देश के अंतर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन–जिन श्रेणियों में आता है, उनका विवरण अंकित करें)
   1. मैं, मध्यप्रदेश के मकान नंबर .... मोहल्ला ....ग्राम .... तहसील .... जिला .... में वर्ष ....में पैदा हुआ/हुई हूँ।
   2. मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला .... शहर .... तहसील .... जिला .... में विगत 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हूँ।
      (आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 10 वर्ष से निरंतर निवासरत हो। यदि 10 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहॉ–कहॉ निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जावे।)
   3. मैं राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम .... कार्यालय का नाम .... विभाग का नाम .... के पद पर पदस्थ हूँ/से सेवा निवृत्त हुआ हूँ।
   4. मैं, मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत स्थापित ....नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में ....पद पर .... कार्यालय में सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ।
      (कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवा निवृत्त हुए उसका पूर्ण विवरण दें)
   5. मैं केन्द्र शासन के .... विभाग में .... के पद पर .... कार्यालय .... तहसील .... जिला .... के पद पर 10 वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ।

(कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता)

6. मैं अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष .... बैच) अधिकारी हूँ। ....पद पर .... कार्यालय/मंत्रालय ....में पदस्थ हूँ/से सेवानिवृत्त हुआ हूँ।
(कार्यरत/सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम)

7. मैं मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक .... पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ।
(पद, कार्यालय का पूर्ण विवरण दिया जाये)

8. मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ तथा मैंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक (अवधि ....) निवास किया है/अथवा मेरे परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हैं। (इसकी पुष्टि हेतु सैनिक कल्याण संचालनालय का प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

हस्ताक्षर

<u>सत्यापन</u>

मैं ....आत्मज/पति श्री .... आयु ....वर्ष निवासी .... सत्यापन करता/करती हूँ कि घोषणा–पत्र की कंडिका 1/2/3/4/5/6/7/8 में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई सारवान तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जायेंगे।

सत्यापन आज दिनांक ....वर्ष .... को स्थान ....में किया गया।

हस्ताक्षर

(जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख घोषणा–पत्र में किया जाये)

संलग्नक – 7

आय बाबत् स्व प्रमाणित घोषणा पत्र
(सादे कागज़ पर)

मैं ....आत्मज श्री ....आयु ....वर्ष शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूँ कि:–

1. मै वर्तमान में ....में निवासरत हूँ।
2. मेरे नाम से ग्राम ....में ....हेक्टेयर/एकड़ कृषि भूमि है, जिससे मुझे रुपये ....शब्दों में ....की वार्षिक आय होती है।
3. मेरा व्यवसाय ....है, इससे मुझे वार्षिक आय रुपये ....शब्दों में .... है।
4. गृह सम्पत्ति से मेरी वार्षिक आय रुपये ....शब्दों में .... है।
5. मेरे परिवार में निम्नानुसार सदस्य हैं –

   1. .... 2. .... 3................................ .4 .... 5 ....
   (परिवार से आशय पति/पत्नि/अवयस्क पुत्र/पुत्री/आश्रित माता या पिता से है।)

6. मेरे परिवार के उक्त समस्त सदस्यों की कुल वार्षिक आय रुपये ....शब्दों में .... है।
7. मैंने इस शपथ–पत्र के पूर्व कोई आय प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है/शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया है।

अथवा

8. मैंने इस शपथ–पत्र के पूर्व लगभग ....समय पूर्व एक आय प्रमाण पत्र/शपथ–पत्र राशि ....रुपये वार्षिक का प्राप्त किया/दिया था। मेरी आय अब परिवर्तित हो गई है। अतः परिवर्तित आय राशि ....वार्षिक का आय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
   (बिन्दु क्रमांक 7 एवं 8 में जो लागू न हो, उसे काट दें।)

हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं ....आत्मज/पति श्री ....आयु ....वर्ष, निवासी ....सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथ–पत्र की कंडिका 1 से 8 तक में उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है। इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य अंकित किया गया है। मुझे यह ज्ञान है कि मेरे द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर मेरे विरुद्ध आपराधिक/दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। साथ ही मुझे प्राप्त समस्त लाभ भी वापस लिये जावेंगे।

सत्यापन आज दिनांक ....वर्ष .... को स्थान ....में किया गया।

हस्ताक्षर

बाह्य राज्य के अभ्यर्थी द्वारा दिया जाना वाला शपथ–पत्र

मैं...पिता/माता का नाम श्री/श्रीमती. ....स्थाई पता ....वर्तमान पता ....दूरभाष क्रमांक.................................... मोबाईल नंबर................................. ......ने कक्षा......................... सेमेस्टर ....में प्रवेश प्राप्त किया है। मैं मूल रूप से ....का निवासी हूॅं। मेरे विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण पूर्व में पंजीबद्ध नहीं हुआ है न ही वर्तमान में कोई आपराधिक प्रकरण किसी पुलिस थाने में पंजीबद्ध है। मेरे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण से संबंधित चालान प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अभी न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित है। प्रवेश के पश्चात् कोई आपराधिक तथ्य/महत्वपूर्ण तथ्य उजागर होने पर मेरे विरूद्ध निष्कासन/निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है, तो वह मुझे स्वीकार होगी एवं इसका दायित्व मेरा स्वयं का होगा।

उपरोक्त जानकारी पूर्ण सत्य है।

दिनांक – भवदीय

नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

पता : ....

पंजीयन क्रमांकः ....

दूरभाष/मोबाइल नं.: ....

बाह्य राज्यों के विद्यार्थियों हेतु पुलिस सत्यापन फार्म

फोटो राजपत्रित अधिकारी
द्वारा प्रमाणित

हस्ताक्षर

1. नाम .... .पिता का नाम ....

   माता का नाम ....आयु ....

2. निवास स्थान ....पता (स्थायी) ....

   ....

   पता (वर्तमान)..

   ....

3. पुलिस थाना क्षेत्र ....

4. पूर्व में अध्ययनरत् विद्यालय/महाविद्यालय ....

5. शरीर पर विशेष निशान /पहचान चिन्ह............... ....

6. आपराधिक प्रकरणों की जानकारी ....

7. स्थायी निवास स्थान पर दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम जो आवेदक को जानते हैं।

क्र	नाम	पता	व्यवसाय	टेलीफोन
1				
2				

हस्ताक्षर पुलिस थाना क्षेत्र प्रभारी

प्रवेश हेतु अधिभार प्राप्त करने संबंधी प्रमाण पत्रों की सूची एवं देय अधिभार

Stream of Weightage	Weightage Code	Weightage percentage (%)
NCC/NSS/Scouts(Scouts Guide/Rangers)/ Judo-Karate/Red Cross, Select the highest waitage option		
NCC/NSS 'A' Certificate - 2%	11	2
NCC/NSS 'B' Certificate OR 2nd level pass Scouts - 3%	12	3
NCC/NSS 'C' Certificate OR 3nd level pass Scouts - 4%	13	4
State Level (Directorate) NCC Competition - 4%	14	4
Participated in RDC New Delhi MP NCC Contingent - 5%	15	5
Governor Scout - 5%	16	5
President Scout - 10%	17	10
Best NCC Cadet of MP - 10%	**18**	**10**
Recipient of Duke of Adinbara NCC Cadet - 15%	19	15
Participant Cadet of Youth Exchange Program between India and Other Countries - 15%	20	15
Selection in international Jamhuri in NCC/NSS - 10%	21	10
Excellent Activity Certificate by Indian Red Cross Society - 2%	22	2
Judo/Karate - Yellow Belt - 2%	23	2
Judo/Karate -Brown Belt - 3%	24	3
Inter District/Division Level Competitions organised by DPI Or Inter Division/Regional Level Competitions organised by CBSE		
(1) I,II,III postion holder team members - 2%	25	2
(2) I ,II, III postion holder individual event - 4%	26	4
Inter Division/State Level Competitions organised by DPI Or Inter Regional/National Level Competitions organised by CBSE Or Regiional Competitions organised by Parliament affairs ministory GOI		
(1) I,II,III postion holder team members - 6%	27	6
(2) I ,II, III postion holder individual event - 7%	28	7
(3) Competitor Representing Division - 5%	29	5
National Competition organised by Parliament affairs ministory GOI		

Stream of Weightage	Weightage Code	Weightage percentage (%)
(1) I,II,III postion holder team members - 12%	30	12
(2) I ,II, III postion holder individual event - 15%	31	15
(3) Competitor Reprenting Region - 10%	32	10
Exchange program between India and Foreign Countries under Youth/Cultural/Literary/Science/Arts - 10%	33	10
National Competitions organised by Sports athoriteis recognised by government of M.P.		
(1) Representative members of MP team - 10%	34	10
(2) I ,II, III postion holder of MP team members - 12%	35	12
Migrants of J&K and their dependents	36	1
Special Encouragement: 1) NCC Best Cadet on National Level 2) Participation in National or International Level rganised by Olympics/Asiad/Sports Authority of India/SGFI	37	100
Judo/Karate -Brown Belt - 4%	38	4

Remark : Code 37 Weightage 100%
means student has outright for admission without merit if the student fulfil the eligibility criteria.

अध्ययन में अंतराल होने पर दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारुप

(स्व प्रमाणित सादे कागज़ पर)

मैं...पिता/माता का नाम श्री/श्रीमती. ....स्थाई पता ....वर्तमान पता ....दूरभाष क्रमांक.................................... मोबाईल नंबर.................................. .... कक्षा........................ सेमेस्टर ....महाविद्यालय... .... में प्रवेश आवंटन हुआ है।

मैं शपथ पूर्वक कथन करता/करती हूॅ कि मेरा सत्र ....से सत्र ....तक कुल ....वर्षों का अध्ययन अंतराल रहा है। इस अंतराल में, मैने किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लिया है। प्रवेश के पश्चात् इस संबंध में कोई भी तथ्य उजागर होने पर मेरे विरूद्ध निष्कासन/निलंबन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही होती है, तो वह मुझे स्वीकार होगी एवं इसका दायित्व मेरा स्वयं का होगा।

उपरोक्त जानकारी पूर्ण सत्य है।

दिनांक – भवदीय

नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

पता : ....

पंजीयन क्रमांकः ....

दूरभाष/मोबाइल नं.: ....

-- ¤ --

संलग्नक-12

Portal Home | Counselling Home

Main Menu

English ▼

Govt. of Madhya Pradesh
Higher Education Department

Registration Form for online admissions in UG courses of Private and Govt Colleges under Higher Education Department, Madhya Pradesh

12th Examination Details

Year of Passing Class 12* [ ] | Roll Number* [ ]

Board Name :* MP Board ▼

Date of Birth (DD/MM/YYYY):* [ ] | Retype Date of Birth :* [ ]

Name of Last Institute Attended :* [ ] | Result* PASS ▼

Is your 12th examination result in grade points :* --Select-- ▼

Percentage :* [ ] (%) | Medium of Study :* Hindi ▼

Subject Group :* --Select-- ▼ | Additional Subject : [ ]

Personal Details

First Name :* [ ] | Last Name : [ ]

Gender :* --Select-- ▼ | Select Gender Again :* --Select-- ▼

Category :* --Select-- ▼ | Select Category Again :* --Select-- ▼

Blood Group :* --Select-- ▼ | Minority Status :* Non-Minority ▼

Marital Status :* --Select-- ▼ | Husband Name :* [ ]

Father's First Name :* [ ] | Father's Last Name : [ ]

Mother's First Name :* [ ] | Mother's Last Name : [ ]

Total Annual Income :* [ ]

Is applicant the Son/Daughter of employee of Department of Higher Education MP(Directorate/GovernmentColleges).* No ▼

Nationality :* Indian ▼ | State of Domicile in case of Indian Nationality :* Madhya Pradesh ▼

Special Class :* None ▼

Contact Details :

Address :* [ ]

State :* [ ] Country :* [ ]

PIN Code [ ] Mobile Phone No(+91) :* [ ]

Alternate Phone with STD Code/Mobile Number : [ ] E-Mail Address (Not Mandatory but recommended) [ ]

Details of employment /Sponsorship

Is the candidate Sponsored/Recommended by Central Govt. or its controlling organisation Foreign Government or its controlling organisation or is the applicant is a Foreign student who will pay Foreign Currency on payment seat.* No ▼

Is the Applicant is in Job/employee* No ▼

Misconduct Details

Is action taken against applicant by Court/College for indescipline/Misconduct/Ragging/ unfair means/ Criminal Activity* No ▼

Is case registered against applicant in Court/Police Station.* No ▼

Certificate Details

Enter Certificate code for Additional Weightage :* 0
click for certificate code (opens in a new browser tab/window)

Secret Key details (4 digit number that you can remember easily)

Enter Secret Key:* [ ] Enter Secret Key again:* [ ]

मैं यह घोषणा करता हूँ की ऊपर दी गई सारी जानकारी सत्य व प्रमाणित है। उपरोक्त जानकारी के गलत पाये जाने पर पूरी ज़िम्मेदारी मेरी होगी।

JS7D

Please enter the code shown above

[ ]

Save

Disclaimer

This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above

संलग्नक - 13

Portal Home Counselling Home

Main Menu

Hindi ▼

Govt. of Madhya Pradesh
Higher Education
Department

Registration Form for online admissions in UG courses of Private and Govt Colleges under Higher Education Department, Madhya Pradesh

12वीं परीक्षा की जानकारी

12 वीं परीक्षा का वर्ष : * [ ]

रोल नंबर : * [ ]

बोर्ड का नाम : * [म. प्र. बोर्ड ▼]

जन्म दिनांक (दिन/माह/वर्ष) : * [ ]

जन्म दिनांक पुन: प्रविष्ट करें :* [ ]

उस अंतिम संस्था का नाम जहां अध्ययन किया हो : * [ ]

परीक्षा परिणाम : * [PASS ▼]

क्या आप को 12वीं की परीक्षा मे ग्रेड पॉइंट मिले हैं : * [--चुने-- ▼]

प्रतिशत : * [ ] (%)

पढ़ाई का माध्यम :* [Hindi ▼]

12वी विषय समूह : * [--चुने-- ▼]

12 वीं परीक्षा मे अतिरिक्त विषय : [ ]

व्यक्तिगत जानकारी

प्रथम नाम : * [ ]

उपनाम : [ ]

लिंग : * [--चुने-- ▼]

पुन: लिंग चुने :* [--चुने-- ▼]

श्रेणी : * [--चुने-- ▼]

पुन: श्रेणी चुने :* [--चुने-- ▼]

रक्त समूह : * [--चुने-- ▼]

अल्पसंख्यक दर्जा : * [मैं अल्प संख्यक नहीं हूँ ▼]

वैवाहिक स्थिति :* --चुने--

पति का नाम :*

पिता का प्रथम नाम : *

पिता का उपनाम :

माता का प्रथम नाम : *

माता का उपनाम :

माता पिता की वार्षिक आय : *

क्या आवेदक के माता पिता उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के नियमित कर्मचारी हैं ? * नहीं

राष्ट्रीयता : * भारतीय

भारत के नागरिक होने पर मूल निवास का राज्य चुने : * मध्यप्रदेश

संवर्ग : * नहीं है

संपर्क की जानकारी

स्थायी निवास का पता : *

राज्य : *

राष्ट्र :*

PIN कोड :

मोबाइल नंबर (+91): *

Alternate Phone with STD Code/Mobile Number :

ई- मेल का पता :

न्योजन एवं प्रायोजन की जानकारी

क्या आवेदक निम्न द्वारा प्रायोजित/अनुशंसित है :-
1 भारत/राज्य मंत्रालय, कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाएँ
2 विदेशी सरकार द्वारा अनुशंसित
3 विदेशी मुद्रा मे पेमेंट सीट पर अधध्ययन करने वाले विदेशी विध्यार्थी * नहीं

क्या आप वर्तमान मे कहीं सेवारत हैं :* नहीं

दुराचरण की जानकारी

आवेदक के विरूद्ध पूर्व मे अनुशासनहीनता/दुराचार/रेगिग/नकल प्रकरण/आपराधिक कृत्य के विरूद्ध की गई न्यायालयीन कार्यवाही/महाविध्यालय द्वारा कार्यवाही की गई है :* नहीं

क्या किसी न्यायालय या पुलिस थाने मे आवेदक के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज है :* नहीं

Certificate Details

अधिभार हेतु मान्य प्रमाण पत्र का कोड दर्ज करें।* 0

click for certificate code (opens in a new browser tab/window)

गुप्त कुंजी की जानकारी (चार अंकों का कोई संख्या लिखें जो आपको आसानी से याद रहे)

Enter Secret Key:*

पुष्टि करने हेतु गुप्त कुंजी एक बार फिर टाइप करें :*

मैं यह घोषणा करता हूँ की ऊपर दी गई सारी जानकारी सत्य व प्रमाणित है। उपरोक्त जानकारी के गलत पाये जाने पर पूरी ज़िम्मेदारी मेरी होगी।

Please enter the code shown above

Save

Disclaimer

This portal is best viewed in FireFox, Chrome, Opera, Internet Explorer 8. The screen resolution desired is 1024x768 or above